

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवान)

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा**  
**पीठासीन अधिकारी :- अमिता बिश्नोई** आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 279/2023

1. हंसराज पुत्र रामलाल जाति जाट साकिन 75000 आर.डी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. सन्तराम पुत्र रामलाल जाति जाट साकिन 75000 आर.डी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

**बनाम**

1. मेघाराम पुत्र रामलाल जाति जाट साकिन 75000 आर.डी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. रोशनी पत्नी दारा सिंह जाति जाट साकिन खेदासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

प्रतिवादीगण


**दावा अन्तर्गत धारा 88 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा**

दिनांक :- 23.12.2024

वादीगण की ओर से श्री हीरालाल बिस्थलिया अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 की ओर से श्री बलवीर मोहयल अधिवक्ता इस वाद मे आज दिनांक को **अमिता बिश्नोई** आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 आरटीए के अन्तर्गत निम्नानुसार घोषणा की जाती है कि - तहसील पीलीबंगा के ग्राम बड़ोपल बारानी के खाता सं. 332 के खसरा सं. 2494/1344 की 5.060 हैक्., खसरा सं. 2563/1457 की 7.590 हैक्. कुल तादादी 12.650 हैक् मे से वादी सं. 1 हंसराज 3.457 हैक्, वादी सं. 2 संतराम 4.133 हैक्. प्रतिवादी सं. 1 मेघाराम 2.193 हैक्., प्रतिवादी सं. 2 रोशनी 2.530 हैक्. के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 23.12.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी कलक्टर एव  
पदेन उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा  
पीलीबंगा

